

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 31.12.2025

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- *जनपद के समस्त थानों द्वारा 81 स्थानों पर 1756 व्यक्तियों को किया गया चेक।*
- *1277 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।*
- *54 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।*
- *80 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरूक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 11 स्थानों पर 255 व्यक्तियों को चेक किया गया, 210 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई, 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थान पर 135 व्यक्तियों को चेक किया गया, 111 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई, 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 06 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 14 स्थानों पर 321 व्यक्तियों को चेक किया गया, 215 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 03 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 21 स्थानों पर 280 व्यक्तियों को चेक किया गया, 241 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 13 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 26 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 06 थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 140 व्यक्तियों को चेक किया गया, 135 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 07. थाना बरिविरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 250 व्यक्तियों को चेक किया गया, 140 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 200 व्यक्तियों को चेक किया गया, 105 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 20 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 55 व्यक्तियों को चेक किया गया, 50 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा तथा 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 69 स्थानों पर 2567 वाहनों को किया गया चेक।
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 147 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 06 चार पहिया वाहनों से उत्तरवायी गयी काली फिल्म।
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही।
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1132 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 31.12.2025 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 610 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता शुभम पुत्र स्व0 रामउजागिर निवासी जनता मार्ग बरदहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डड़वा नहर के पास से 610 ग्राम अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 31.12.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शुभम पुत्र स्व0 रामउजागिर निवासी जनता मार्ग बरदहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0000000 1213/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 610 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रामविष्णु, हे0का0 दीपचन्द राजभर, का0 चन्द्रशेखर यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता अमर मणी त्रिपाठी पुत्र स्व0 महेन्द्र नाथ त्रिपाठी निवासी नेवास थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को पोस्टमार्टम हाउस के पास से 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 31.12.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमर मणी त्रिपाठी पुत्र स्व0 महेन्द्र नाथ त्रिपाठी निवासी नेवास थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 1211/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 700 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 बहादुर सिंह, का0 धर्मेन्द्र गौड़, का0 राकेश कुमार।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 660 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ धरमू पुत्र स्व0 ठाकुर प्रसाद निवासी पुरानी तहसील खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को हाईवे कालागेट कबीर चौरा मार्ग के पास से 660 ग्राम अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 31.12.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ धरमू पुत्र स्व0 ठाकुर प्रसाद निवासी पुरानी तहसील खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 1212/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 660 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री मनाष कुमार जायसवाल, का0 कृष्णनरायन गौड़, का0 अनिल यादव, का0 गिरिजेश कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

● *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

● *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 93 वाहनों से 90,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 90 वाहनों से 90,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।